गोर[redacted]नाथ, भा.प्र.से.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

दूरभाष :– 06454– 243199 (O)
06454– 242246(R)
मोबाईल– 9473191432
ई–मेल:– divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक: 134

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

विषय :– **बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्णयों का अनुपालन कराने के संबंध में।**

पूर्णिया, दिनांक 15 / 06 / 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जनशिकायतों एवं जनता के आम समस्या को सुलझाने तथा सरकार की योजनाओं को जन–जन तक पहुँचाने के लिए **बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम–2015** लागू की गई है जिसके लिए सभी अनुमंडलों में अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी तथा जिलों में जिला लोक शिकायत पदाधिकारी की पदस्थापना पूर्णकालिक रूप से की गई है। इन पदाधिकारियों के द्वारा जनता से प्राप्त लोक शिकायत के आधार पर सुनवाई के पश्चात् निर्णय देते हुंए कुछ मामलों में लोक प्राधिकारों को अनुपालन का आदेश दिया जाता है। पर यह पाया जा रहा है कि लोक प्राधिकार के द्वारा उसका ससमय अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण सरकार के द्वारा बनाये गये अधिनियम विफल हो जाते हैं।

2.उक्त स्थिति में ऐसे मामलों के अनुपालन हेतु प्रथम अपील के मामले अधोहस्ताक्षरी के समक्ष भी काफी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार में भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत किये गये निर्णयों का अनुपालन नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी जिला पदाधिकारियों को इसका अनुपालन कराने के लिए समय–समय पर निदेश दिये गये हैं। ऐसे निर्णयों का अनुपालन न होने की स्थिति में इस अधिनियम के तहत जन समस्याओं का निराकरण सफल तरीके से नहीं हो पा रहा है।

3.उपर्युक्त वर्णित स्थिति में इस अधिनियम के तहत दिये गये निर्णयों का अनुपालन कराने हेतु निम्नवत निदेश दिये जाते हैं–

(I) सभी लोक प्राधिकार अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों का अनुपालन निर्णय की तिथि से एक माह के अंदर निश्चितरूपेण करेंगे।

(II) इस अधिनियम के तहत जो मामले प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील में सुनवाई हेतु लंबित है तथा उसमें पूर्व में दिये गये निर्णयों पर रोक नहीं लगाई गई है तो वैसे मामलों में भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णयों को लागू किया जाना बाध्यकारी होगा।

(III) उप विकास आयुक्त/अपर–समाहर्त्ता क्रमशः विकास एवं राजस्व के मामलों में दिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/लोक प्राधिकारों को निदेशित करेंगे एवं जो लोक प्राधिकार उक्त निर्णयों का अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को प्रेषित करेंगे।

(IV) संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सम्पूर्ण जिले में क्रमशः सामान्य एवं पुलिस संबंधी मामलों में दिये गये निर्णयों का अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। वे समय–समय पर इसकी समीक्षा करेंगे तथा जो लोक प्राधिकार जानबूझकर निर्णयों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव भी देंगे।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय तथा इस हेतु अन्य पदाधिकारियों को भी निदेशित करने की कृपा की जाय।

15/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।